"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 227] रायपुर, बुधवार, दिनांक 25 सितम्बर 2002—आश्विन 3, शक 1924

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 21 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) विधेयक, 2002

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के 53वें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक सन् 2002) है.

   (2) यह शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 27 में संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 27 में उपधारा (2) में शब्द "चालीस" के स्थान पर शब्द "पचास" प्रतिस्थापित किया जायेगा.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

बजट वर्ष 2002-2003 के प्रस्ताव में छोटे व्यवसायियों को राहत दिलाने के उद्देश्य से आयातकर्त्ता एवं निर्माता से भिन्न व्यवसायियों के लिये संक्षिप्त कर निर्धारण की प्रचलित सीमा 40 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये वार्षिक बिक्री का प्रावधान शामिल किया गया है.

2. उपरोक्त प्रावधान के क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 27 में संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया है.

3. चूंकि, विधान सभा सत्र चालू नहीं था एवं उपरोक्तानुसार संशोधन करना आवश्यक था, अतएव महामहिम राज्यपाल द्वारा छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (क्रमांक 3 सन् 2002) प्रख्यापित किया गया था, जो अब अधिनियम के रूप में परिवर्तित करने हेतु लाया जा रहा है.

4. अतएव यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 30 सितम्बर, 2002

रामचन्द्र सिंहदेव
भारसाधक सदस्य

उपाबंध

मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 27 की उपधारा (2) के वर्तमान प्रावधान निम्नानुसार है :—

27. कर निर्धारण :—

2. (क) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी ने —

(एक) जो आयातकर्त्ता या विनिर्माता है तथा जिसकी सकल कुल राशि (टर्न ओवर) एक वर्ष में रुपए दस लाख से अधिक नहीं है; और

(दो) जो न तो आयातकर्त्ता है और न विनिर्माता है और जिसकी सकल कुल राशि (टर्न ओवर) एक वर्ष में चालीस लाख रुपए से अधिक नहीं है;

किसी वर्ष के लिए विवरणियां प्रस्तुत कर दी है और ऐसी विवरणी या विवरणियों के अनुसार देय कर का भुगतान विहित समय के भीतर कर दिया है या किसी वर्ष के लिए ऐसी विवरणी या विवरणियां विहित समय के, इतने बाद जो उस कालावधि के जिससे वह विवरणी संबंधित है, समाप्त होने के चार माह के बाद की नहीं है प्रस्तुत कर दी हैं और उसके साथ धारा 26 की उपधारा (4) के खण्ड (क) के अधीन देय ब्याज का भुगतान कर दिया है तो वह इस धारा के अधीन कर के संक्षिप्त निर्धारण के लिए पात्र होगा.

भगवानदेव ईसरानी
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.